सं. 7-22-2013-सीजीडब्ल्यूबी

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा अर्ध सरकारी संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों द्वारा स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर 67000-79000 रूपए के एचएजी वेतनमान में अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, के पद को भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद के पदधारी हों अथवा

(ii) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में 37400 - 67000/- रूपए+ 10,000 रूपए के ग्रेड वेतन अथवा समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में 3 वर्षों की सेवा कर चुके हों अथवा समतुल्य; और

(ख) जिन्हें निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव प्राप्त हो:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य;

(ii) भूमि जल संसाधनों का सर्वेक्षण, अन्वेषण, विकास, स्तर की निगरानी, अनुसंधान, प्रशिक्षण, लघु सिंचाई और प्रबंधन के क्षेत्र में बीस वर्षों का अनुभव।

2. फीडर श्रेणी में वे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्तिधारी भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

3. इसी संगठन में अथवा केन्द्र सरकार के कुछ अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रातिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. चयनित अधिकारी के वेतन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/84-स्था. (पे.II), दिनांक 26.12.1984 के साथ पठित, समय-समय पर यथा संशोधित, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/12/87-स्था. (पे.II), 29.04.84, में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप विनियमित किया जायेगा।

5. उन अधिकारियों को, जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया हो, को बाद में अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मात्र ऐसे आवेदनों को ही स्वीकार किया जायेगा, जिसके

साथ अनुलग्नक में दिए गए अनुसार अपेक्षित व्यक्तिगत बायोडाटा और विगत पांच वर्षों के एसीआर की सत्यापित प्रतिलिपि, जिसे कम से कम अवर सचिव के रैंक के अधिकारी से सत्यापित कराया गया हो और सतर्कता /सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान संबंधित विभाग से लगाई गई शस्तियों, यदि कोई हों, को दर्शाने वाले विवरण सहित प्रतिलिपि संलग्न हो।

6. ऊपर उल्लिखित सभी अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करने वाले अधिकारियों के आवेदन-पत्रों को ही अग्रेषित किया जाये।

7. **कर्तव्य**: अध्यक्ष, विभाग का प्रमुख है, जो बोर्ड की नीति, आयोजना और कार्यान्वयन तथा समग्र प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं।

8. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक और पात्र अधिकारियों, जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन (i) विगत पांच वर्षों (2009-10 से 31.03.2014) के एसीआर/एपीएआर, जिन्हें कम से कम अवर सचिव के रैंक के अधिकारी से सत्यापित कराया गया हो, (ii) अधिकारी के विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक कार्रवाई लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं होने का प्रमाण-पत्र (iii) पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई शस्तियों, यदि कोई हों, को दर्शाने वाले विवरण और (iv) निर्धारित प्रपत्र में सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के साथ एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार-पत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर निदेशक (जीडब्ल्यू स्था.) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001 को संलग्न प्रपत्र (3 प्रतियों) में पहुंच जाने चाहिएं। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदन अथवा ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त

(विनीत अब्राहम)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23711370